राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्सः 5159600,5159699 फैक्सः 5159694-97

परिपत्र

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एक वैधानिक संस्था है। इसका गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्याक 6) के अन्तर्गत जल प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने व कम करने हेतु तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्याक 14) के अन्तर्गत वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने व कम करने हेतु किया गया है।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधान 25/26 के अन्तर्गत नदियों, कुओं और नालों या भूमि पर राज्य मंडल द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषित पदार्थों के उत्सर्जन पर प्रतिबंध है। इसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा उधोग स्थापित करने, उसको चलाने या इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही एवं अपशिष्ट पदार्थो का निपटान करने के लिये एवं जल शोधन संयंत्र लगाने से पूर्व राज्य मंडल से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

राज्य मण्डल द्वारा सम्मति जारी करने की दृष्टि से भवन निर्माण प्रोजेक्ट, टाउनशीप एवं एरिया डवलपमेंट प्रोजेक्ट को वर्तमान मे नांरगी श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

इन भवन निर्माण/ग्रुप हाउसिंग और टाउनशीप प्रोजेक्ट में साधारण जीविका जैसे नहाने से,शौचालय से, कपडे धोने इत्यादि से घरेलू अपशिष्ट जल निकलता है। इस घरेलू अपशिष्ट जल को वैज्ञानिक तरीके से उपचारित किया जाना चाहिऐ एवं इसका निपटान उपयुक्त क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर वैज्ञानिक तरीके से किया जाना आवश्यक है। घरेलू अपशिष्ट जल के उचित निपटान की व्यवस्था एवं लागू करने का दायित्व अभिभोगियों/सोसाइटी पर होता है। अभिभोगी/सोसाइटी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि कोई भी अनुपचारित अपशिष्ट का उत्सर्जन प्रोजेक्ट के परिसर के बाहर ना हो। सभी भवन निर्माण/ग्रुप हाउसिंग और टाउनशीप प्रोजेक्ट को राज्य मंडल से जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व स्थापना सम्मति एवं संचालन करने से पूर्व संचालन सम्मति लेना आवश्यक है।

प्रायः ऐसा पाया गया है कुछ भवन निर्माण/ग्रुप हाउसिंग और टाउनशीप प्रोजेक्ट, राज्य मंडल से स्थापना सम्मति तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन संचालन के लिए राज्य मंडल में आवेदन नही करते हैं एवं बिना संचालन सम्मति एवं पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों के स्थापित किये बिना ही संचालन प्रांरभ कर देते हैं। कई प्रकरणों में तो प्रोजेक्ट संचालन सम्मति प्राप्त किये बिना, संचालित कर लिया जाता है या अभिभोगियों को सौप दिया जाता है। बिना संचालन सम्मति के प्रोजेक्ट का उपभोग करना/संचालन करना, जल अधिनियम/वायु अधिनियम का उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर समस्त सक्षम स्वीकृति प्राधिकारी यथा निदेशक एंव संयुक्त सचिव, निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार अपने अधीनस्थ सभी नगर निगम, नगर परिषद, को आवश्यक निर्देश जारी

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्सः 5159600,5159699 फैक्सः 5159694–97

करें कि भवन निर्माण/ ग्रुप हाउसिंग और टाउनशीप प्रोजेक्ट को राज्य मंडल की वैध संचालन सम्मति होना सुनिश्चित करने के बाद ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जावें। सभी संबंधितों से आग्रह है कि कृपया संलग्न प्रपत्र में सूचना दिनांक 28.2.2020 तक मण्डल को भिजवाना सुनिश्चित करें।

परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

—sd—
(डॉ. विजय कुमार सिंघल)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता

क्रमांकः F.14(5-ADM)/RPCB/PLG/ 2910-2858 दिनांकः— 31-12-2019

निम्नांकित को प्रतिलिपि संलग्न प्रपत्र में सूचना दिनांक 28.2.2020 तक मण्डल को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

निम्नांकित को प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।
4. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।
5. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।
6. शाखा प्रभारी प्लानिंग/बी.एम.डब्लयू./हजारडस वेस्ट/टैक्सटाइल/सी.पी.एम./एम.यू.आई.डी./एच.ओ.पी./ई–वेस्ट/डी.एफ./आई.टी./सी.डी/एडमिन/माइन्स/लीगल/एस.पी.आई.ओ/लिक्विड वेस्ट, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अलवर/भिवाडी/बालोतरा/भीलवाडा/भरतपुर/बीकानेर/चितौडगढ/जयपुर(उतर)/जयपुर(दक्षिण)/जोधपुर/किशनगढ/कोटा/पाली/सीकर/उदयपुर।
8. शाखा प्रभारी(आई. टी..), मुख्यालय, जयपुर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता

Scanned by CamScanner

विभाग /स्थानीय निकाय का नाम–

क्रम संख्या	भवन निर्माण/ग्रुप हाउसिंग/ टाउनशीप प्रोजेक्ट का नाम	पता	बिल्ट अप एरिया /Development Project का कुल एरिया	प्रोजेक्ट पूर्ण होने के पश्चात संचालन की तिथि	अधिवास प्रमाण पत्र की स्थिति

Scanned by CamScanner